<u>डिस्कलेमर</u>

अंतरिम आदेश संख्या 09/2023-24 का परिशिष्ट हिंदी अनुवाद संलग्न है। इस हिंदी पाठ के अंतर्गत दी गई किसी भी व्याख्या या अर्थ के संदर्भ में कोई भी भ्रांति या संदेह होने पर कृपया अंग्रेजी पाठ को ही प्रामाणिक माना जाए।

ऐरा/20010/एमआईएएल/डीएफ और एमडीएफ/2020-21

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण

*****

आदेश संख्या 09/2023-24 का परिशिष्ट

ऐरा भवन
प्रशासनिक कॉम्पलेक्स
सफदरजंग हवाईअड्डा
नई दिल्ली– 110003

जारी करने की तारीख: 26 दिसम्बर, 2023

विषय: छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, मुंबई में परियोजना निर्माण कार्य के लिए विकास शुल्क (डीएफ) लगाने के मामले के संबंध में

1. ऐरा ने दिनांक 14.06.2023 के आदेश संख्या 09/2023-24 द्वारा छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, मुम्बई को 31.12.2023 तक जारी टिकटों के लिए प्रति अंतरदेशीय यात्री 100/- रूपए और प्रति अंतरराष्ट्रीय यात्री 600/- रूपए की दर से विकास शुल्क (डीएफ) की वसूली जारी रखने की अनुमति दी है। यह आदेश अन्य बातों के साथ-साथ, एएआई द्वारा प्रदान की गई जानकारियों के आधार पर जारी किया गया था, जोकि डीएफ के प्रबंधन के लिए अभिरक्षक हैं (जैसा कि डीएफ नियम, 2011 में उल्लिखित है) और एएआई द्वारा नियुक्त स्वतंत्र लेखा परीक्षक द्वारा विधिवत लेखा परीक्षा की गई थी।

2. हालाँकि, माननीय दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय अधिकरण ने ऐरा अपील संख्या 04/2023 में पारित अपने दिनांक 19.12.2023 के अंतरिम आदेश द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ निम्नानसुार आदेश दिया है:

> "इसलिए, हम इस अपीलकर्ता को 29.02.2024 तक 100 रूपए प्रति अंतरदेशीय यात्री और 600 रूपए प्रति अंतरराष्ट्रीय यात्री की दर से डीएफ लगाना जारी रखने की अनुमति इस शर्त पर देते हैं कि यह राशि एस्क्रो खाते में जमा की जाएगी और इस राशि का उपयोग तथा आहरण एएआई द्वारा दी गई अनुमति के अनुसार होगा और यह नियम, 2011 के अनुसार होगा। इसके अलावा, यह अपीलकर्ता 01.01.2024 से 29.02.2024 तक की अवधि के लिए एयरलाइनों के माध्यम से एकत्र किए गए डीएफ के खातों को ठीक से रखेगा और इस अपीलकर्ता द्वारा यह खाता एएआई के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।"

3. माननीय टीडीएसएटी (दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय अधिकरण) के उपर्युक्त अंतरिम आदेश के अनुपालन में छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, मुम्बई में प्रति अंतरदेशीय यात्री 100/- रूपए और प्रति अंतरराष्ट्रीय यात्री 600/-रूपए की दर से डीएफ की वसूली की अवधि 29.02.2024 तक बढ़ा दी गई है।

4. ऐरा के दिनांक 14.06.2023 के आदेश 09/2023-24 की अन्य सभी शर्तें और निबंधन यथावत रहेंगे।

प्राधिकरण की ओर से जारीकर्ता

(सुयश नारायण)
सचिव

सेवा में,

श्री प्रकाश तुलसियानी, मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
मुम्बई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड,
छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, प्रथम तल, टर्मिनल1,
सांताक्रूज़ (पूर्व) मुम्बई - 400 099.

प्रतिलिपि:

(i) सचिव, नागर विमानन मंत्रालय, राजीव गांधी भवन, सफदरजंग हवाईअड्डा, नई दिल्ली 110 003.
(ii) अध्यक्ष, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, राजीव गांधी भवन, सफदरजंग हवाईअड्डा, नई दिल्ली-110 003.